(18)

संख्या 1503 /उन्तीस(2)11–2(60पे0)/2004

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यॉकी,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग

देहरादून दिनांक 21 अक्टूबर 2011

विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–12 में केन्द्रपोषित योजनाओं पर देय सेन्टेज की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या 531/उन्तीस/05–2(60पे0)/04 दिनांक 21.03.06 में दी गई व्यवस्थानुसार उत्तराखण्ड पेयजल ससांधन विकास एंव निमार्ण निगम को केन्द्रपोषित योजनाओं के निर्माण पर दिनांक 01.04.05 से 12.5 प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज चार्जेज) अनुमन्य किये जाने तथा पूर्ववर्ती वर्षो में 09 नवम्बर 2000 से 31.03.05 तक कम सेन्टेज भुगतान के कारण केन्द्रपोषित योजनाओं पर ऑकलित राशि जो योजनाओं की लागत से व्यावर्तन कर व्यय की गई है, के विनियमितीकरण की व्यवस्था अनुमन्य की गयी है, के क्रम में आपके पत्र संख्या 3442/वि0अनु0/मासिक लेखा (बीस0एस0–1)/252 दिनांक 14.10.1011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य योजनान्तर्गत सेन्टेज की प्रतिपूर्ति हेतु संलग्न बी0एम0–15 में दिये गये विवरणानुसार पुर्नविनियोग के माध्यम से ₹ 2539.09 लाख (₹ पच्चीस करोड़ उन्तालीस लाख नौ हजार मात्र) की धनराशि अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतो से व्यावर्तन द्वारा व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1)– उक्त धनराशि के आहरण के पूर्व निगम को राज्य सैक्टर की योजनाओं में अर्जित समस्त ब्याज की धनराशि 1027.74 लाख (दस करोड़ सत्ताईस लाख चौहत्तर हजार मात्र) एवं इस पर आतिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा करके ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

(2) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके दो बबराबर किस्तों में आहरित करके अपने पी0एल0ए0 में रखकर उसका आवश्यकतानुसार आहरण किया जायेगा। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर्स की संख्या व दिनांक की सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। कोषागार से दूसरी किस्त का आहरण प्रथम किस्त का पूर्ण उपयोग करने के बाद ही किया जायेगा।

(3)– उक्त स्वीकृति से व्यय की गई धनराशि का विस्तृत ब्यौरा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण व्यय विवरण सहित शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को चालू वित्तीय वर्ष की 31.03.2012 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(4)– स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.03.2011 तक उपयोग करके वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा एवं जो धनराशि दिनांक 31.03.2012 तक अप्रयुक्त रहती है उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

क्रमशः.2.

(5)- उपरोक्त धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या 531/उन्तीस/05/2(60पे0)/2004 दिनांक 31 मार्च, 2006 के अनुसार केन्द्रपोषित योजनाओं के निर्माण पर अनुमन्य की गई दर के सापेक्ष केन्द्रपोषित योजनाओं में ऑकलित धनराशि जो योजनाओं की योजनावार अनुमोदित लागत अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, के विरूद्ध कम सैन्टेज प्राप्त हुआ हो के विनियमितीकरण पर किया जायेगा।

(6) केन्द्रपोषित योजनाओं पर भारत सरकार द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा देय सेन्टेज की सीमा किसी भी दशा में 12.5 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नहीं होगी। इससे अधिक सेन्टेज पर व्यय होने की दशा में विभागाध्यक्ष पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगे।

2- उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-आयोजनेत्तर-102-ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम-07-केन्द्रपोषित योजनाओं पर देय विभागीय शुल्क का भुगतान (2215-01-101-07 सेस्थानान्तरित)-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0- 630/XXVII(2)/2011 दिनांक 21 अक्टूबर 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्न-बी0एम0-15

भवदीय

(अरविन्द सिंह ह्यॉकी)
अपर सचिव

पृ0सं0 1503(i)/उन्तीस(2)/11-2(60पे0)/2004 तददिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 पेयजल मंजी जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2-स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
3-निजी सचिव-प्रमुख सचिव पेयजल को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4-महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
5- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
6-जिलाधिकारी, देहरादून
7-वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8-निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, ई0सी0 रोड, देहरादून।
9-निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10-मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
11-वित्त अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग/वित्त बजट सैल।
12-गार्ड फाईल।

संलग्न-बी0एम0-15

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव

प्रपत्र बी0एम0–15 /पुर्नविनियोग विवरण
पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन

अनुदान संख्या–13
(धनराशि रू0 हजार में)

कुल बजट प्राविधान सहित लेखाशीर्षक (आयोजनागत)	मानक मद्वार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के अवशेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष(सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है एवं स्थानान्तरित की जाने वाली धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशैष धनराशि।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2215–जलपूर्ति तथा सफाई				2215–जलापूर्ति तथा सफाई			(क) आवश्यकता न होनें के कारण (ख) परिव्यय के विपरीत बजट प्राविधान इतना कम होनें के कारण।
01–जलपूर्ति–आयोजनेत्तर				01–जलपूर्ति–आयोजनेत्तर			
101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम				102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
05–नगरीय पेयजल 04– अवशेष विद्युत देयको का उत्तराखण्ड विद्युत निगम–भुगतान				00– 07– केन्द्रपोषित योजनाओं पर देय विभागीय शुल्क का भुगतान (2215–01–101–07 से स्थानान्तरित)			
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 450000	–	–	450000(क)	20–सहायक अनुदान/अंशदान राजसहायता 253909	253910	196090	
योग:– 01	–	–	450000	253909	253910	196090	

प्रमाणित किया जाता है कि पुर्नविनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित सीमाओं का उल्लघन नही होता है ।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–2
संख्याः 630 (i) XXVII-(2) /2011
देहरादून : दिनांकः 21 अक्टूबर 2011
पुर्नविनियोग स्वीकृत

(आर0सी0 अग्रवाल)
अपर सचिव वित्त

सेवा में
महालेखाकार,
उत्तराखण्ड।

संख्या 1503 (क)/उन्तीस/10–2–(60पे0)/2004, तद दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1–निदेशक कोषागार एंव वित्त सेवायें 2–कोषाधिकारी, देहरादून ।
3–वित्त अनुभाग–2 4–जिलाधिकारी, देहरादून।

आज्ञा से

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव